भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1595

11 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

**विषय: बिहार में पीएम किसान योजना**

**1595. श्री दिलेश्वर कामैतः**

**क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या बिहार के सभी किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सम्मान निधि/नकद राशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो सुपौल जिले में लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या को दूर करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

**(क):** राज्य सरकार से सत्यापित डाटा एवं आधार/पीएफएमएस के माध्यम से उनका सत्यापन प्राप्त होने के बाद 6 फरवरी, 2020 तक बिहार में 5348465 किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि प्रदान की गई है।

**(ख):** 6 फरवरी, 2020 तक बिहार के सुपौल जिले में 157942 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है।

**(ग) एवं (घ):** राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा अपलोड किए गए लाभभोगियों के आंकड़ों का अनेकों स्तर पर सत्यापन एवं प्रमाणीकरण विभिन्न संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ-साथ बैंकों के द्वारा किया जाता है जिसमें विभिन्न स्तरों पर गलतियों के लिए डाटा निरस्त करना एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गलती रहित आंकड़ें पुन: अपलोड करना शामिल है। इसके बाद ही लाभभोगी के बैंक खातों में धनराशि का सफल हस्तांतरण किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया प्रत्येक किस्त के हस्तांतरण के लिए अपनाई जाती है।

किसानों का और पंजीकरण करने के लिए पीएम-किसान पोर्टल में फार्म-कार्नर नामक वेब-पोर्टल दिया गया है जिसके माध्यम से किसान स्वत: ही अपना पंजीकरण करा सकते है। किसान फार्मर कॉर्नर के माध्यम से अपने आधार कार्ड के अनुसार पीएम-किसान डाटा बेस में अपना नाम भी संशोधित कर सकते है। किसान फार्मर कॉर्नर के माध्यम से अपने भुगतान की स्थिति की जानकारी भी ले सकते है। लाभभोगियों के ग्राम-वार नाम फार्मर कॉर्नर में उपलब्ध रहता है। कॉमन सेवा केन्द्रों को उपरोक्त कार्य को करने में किसानों की सहायता करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। संघ सरकार के परामर्श पर राज्यों ने प्रसार एवं जागरूकता कैंपों का आयोजन किया है ताकि लाभभोगियों के डाटा का आधार-आधारित प्रमाणीकरण के साथ-साथ नया पंजीकरण एवं पहले से पंजीकृत डाटा में सुधार तत्काल सुनिश्चित किया जा सके।

****